न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 151/2016 साबिक प्र.स. 112/2012

उनवान

1 हीरा पिता कल्याण माली उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
2 राजू पिता कल्याण माली उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
3 पन्ना पिता कल्याण माली उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
4 छोटू पिता कल्याण माली उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
5 छोटी पुत्री कल्याण माली उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
6 रूपा पुत्री कल्याण माली उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
7 नन्दु बैवा कल्याण माली उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

——— **वादीगण**

वनाम

1 नाना पिता हिन्दु गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::— श्री लालाराम गुर्जर———वादीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
अनुपस्थितः— विपक्षी क्र. 01

निर्णय

दिनांक — 23.02.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद पत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया। ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षेत्र धनोप की सरहद में स्थित साबिक खसरा 874/1 रकबा 04–05 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता का हक स्वामित्व था। पैमाईश कार्यवाही में इस साबिक खसरे से हाल आराजियात संख्या 3401, 3402, 3403, 3404, 3405 कायम हुए। परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के अमीन द्वारा भूप्रबन्ध कार्यवाही करते समय वादीगण के पिता स्व. श्री कल्याण माली के स्वामित्व की आराजी संख्या 3405 रकबा 0.26 हैक्टयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज कर दिया एवं अवशेष रही आराजियात को बिलानाम सरकार से दर्ज राजस्व रेकार्ड कर दिया गया। इस दोषयुक्त ईन्द्राज से वादीगण के नाम पर एक इंच भूमि भी नही रही। श्री कल्याण जी का देहान्त हो चुका है, एवं वादीगण उनके विधिक उत्तराधिकारी है। वादीगण इस दोषयुक्त ईन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला–शाहपुरा

(2)

अतः ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षेत्र धनोप तहसील फूलियाकलां स्थित हाल खसरान संख्या 3405 रकबा 0.26 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित कर, बिलानाम सरकार दर्ज आराजी संख्या 3401 रकबा 0.30 हैक्ट. आराजी 3402 रकबा 0.32 हैक्ट. आराजी संख्या 3404 रकबा 0.10 हैक्ट., आराजी संख्या 3403 रकबा 0.01 हैक्ट. भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीगण का हक स्वामित्व निर्धारित कर, आराजियात में वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर घोषणात्मक डिक्री सादर फरमाई जावे। तथा साथ ही उक्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 10.02.2006 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी स्वयं विपक्षी अथवा उनकी ओर से कोई वैध प्रतिनिधि पैरवी हेतु हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादी पक्ष द्वारा बतौर गवाह श्री राजु पिता कल्याण माली, श्री नारायण पिता रुघनाथ गुर्जर, श्री भोमा पिता बन्ना गुर्जर के शहादत्त में प्रस्तुत शपथ–पत्रों को रेकार्ड पर लिया जाकर, उन पर लाल श्याही से पी.डब्ल्यू.–01, 02, 03 एवं समर्थन में संलग्न राजस्व आधार अभिलेखों पर आवश्यक प्रदर्श के अंकन किये गये। तदोउपरान्त वादी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों से वादपत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, वादपत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

इस प्रश्नगत् प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने पारित निर्णय दिनांक 09.02.2009 से वादपत्र वादी को अस्वीकार किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के यहां अपील दायर कराई। माननीय न्यायालय ने अपील अपीलार्थी को आंशिक रुप से स्वीकार किया और अधीनस्त न्यायालय को यह निर्देश दिये की उभयपक्षों को सुनकर, उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित किया जावे। माननीय न्यायालय से प्राप्त हुए निर्देशों के अनुपालन में इस न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर, उपलब्ध दस्तावेज/सबूतों के आधार पर प्रकरण का निम्नानुसार विनिश्चय किया गया।

प्रकरण का अवो–पांत अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत, शपथपत्रों, राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के तुल्नात्मक परीक्षण/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि साबिक खसरा 874/1 रकबा 04–05 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता श्री कल्याण माली का हक स्वामित्व था। इसकी ताईद प्रदर्श दस्तावेज संख्या 06 जमावन्दी संवत् 2040 से हुई है। हाल खसरा संख्या 3401, 3402, 3403, 3404, 3405 का साविक खसरा नम्बर 874/1 से नवीन निर्मित होना पाया गया है। यह तथ्य प्रदर्श दस्तावेज संख्या 09 भूप्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से प्रमाणित हुआ है। हाल खसरा संख्या 3405 रकबा 0.26 हैक्टयर भूमि अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। और आराजी संख्या 3401 रकबा 0.30 हैक्ट. आराजी 3402 रकबा 0.32 हैक्ट. आराजी संख्या 3404 रकबा 0.10 हैक्ट., आराजी संख्या 3403 रकबा 0.01 हैक्ट. भूमि अभिलेखों बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है। इसकी ताईद प्रदर्श दस्तावेज संख्या 03, 08 चालू जमावन्दी से हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला–शाहपुरा

(3)

——उपलब्ध कराये गये दस्तावेजात से यह साबित हुआ है कि साबिक खसरा नम्बर 874/1 से हाल खसरा नम्बर 3401, 3402, 3403, 3404 कायम हुए जिन्हे अभिलेखों में बिलानाम सरकार से दर्ज किया गया। इन हाल खसरान पर कानूनन वादीगण का मालिकाना हक साबित हुआ है। लेकिन हाल खसरा संख्या 3405 रकबा 0.26 हैक्टयर का नवीन निर्माण साबिक खसरा संख्या 874 भी. के साथ साथ 876 भी से भी हुआ है। यह तथ्य विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है। प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर रही आराजियात का साबिक रेकार्ड वादीगण ने उपलब्ध नही कराया है। ऐसी स्थिति में हाल खसरा संख्या 3405 से प्रतिवादी संख्या 01 का हक समाप्त करना न्यायोचित नही है।

फिर भी देखा जाये तो प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि पैमाईश कार्यवाही के दौरान राजस्व अभिलेखों में निश्चित रूप चूक की गई थी। जिसे दुरूस्त कराये जाने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण पक्ष द्वारा दावे के माध्यम प्रस्तुत दलील/अभिवचन आंशिक स्वीकृत किये जाते है।

अतः इस प्रकार प्रकरण के अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की तायद मे शपथपत्र तथा शहादत्त वादी में वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन एव विश्लेषण पश्चात न्यायालय वादी के वादपत्र ब–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

::: आदेश :::

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार आशिक स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम धनोप प.ह.क्षेत्र धनोप तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित बिलानाम सरकार दर्ज हाल खसरा नम्बर 3401, 3402, 3403, 3404 किता 4 रकबा 0.73 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीगण हक स्वामित्व निर्धारित कर, वादीगण को खसरान का सहखातेदार काश्तकार घोषित किए जाने की आज्ञा न्यायालय प्रदत्त करता है। तद्नुसार तहसीलदार फुलियाकलां राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा